प्रकरण संख्या 12/2021 दौलतसिंह बनाम खीमा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.02.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कुरियावाडा में प्रार्थना पत्र की परिशिष्ट ''क'' की आराजी नंबर 1555, 1561, 1562, 1567, 1596 से 1601, 1647 से 1652 कुल किता 16 रकबा 4.2108 हैक्टर, परिशिष्ट ''ख'' की आराजी नंबर 1653 से 1659 कुल किता 7 रकबा 04426 हैक्टर एवं परिशिष्ट ''ग'' की आराजी नंबर 1361, 1362, 1372, 1377, 1395, 1399, 1432, 1438 कुल किता 8 रकबा 7.5743 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात में पक्षकारान का हिस्सा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 व 4 अनुसार होकर इसी अनुसार आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है, किन्तु विधिवत बंटवारा नहीं होने से पक्षकारों के मध्य आये दिन विवाद होता है। विपक्षी ने बिना विभाजन के ताकत के बल पर निर्माण कराने पर उतारू हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः विपक्षी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि बिना विधिक बंटवारा कराये किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें तथा आराजी नंबर 1372 पर जो संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की है, पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें तथा प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। विपक्षी ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी दिनांक 28.09.1988 को पिता द्वारा भाई बंटवारे में दी गयी भूमि पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। मौके पर कब्जे अनुसार बंटवारा किया जाता है तो विपक्षी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 03.03.2021 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी द्वारा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:15 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर (राज.)

इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 21 एवं 23 से 46 की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 22/1 से 22/6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण मानने में भूल की है, क्योंकि पक्षकारान के मध्य पूर्व में वर्ष 1988 में पिता के समय ही विभाजन हो चुका था तथा अपीलान्ट/विपक्षी उसी अनुसार अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। अपीलान्ट का मकान जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने से उसको रिपेयर करवा रहा है। इसी प्रकार सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में मानने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है, क्योंकि इतने वर्षो से पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं। अब मात्र अपीलान्ट को परेशान करने की नियत से दावा व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। यदि अपीलान्ट को अस्थायी निषेधाज्ञा की आड़ में अपने मकान के नवनिर्माण से रोका गया तो उसे अपूर्णीय क्षति होगी, क्योंकि अपीलान्ट के पास रहने के लिए अन्य कोई मकान नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विवेचन करते हुए हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी/अपीलान्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, [illegible] सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट [illegible] जावे।

हमने उभय[illegible] का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय [illegible] अस्थायी निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:15 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर विस्तृत विवेचन करते हुए अपने निर्णय में यह माना कि विवादित आराजियात राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण एवं विपक्षी की सहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि आराजी नंबर 1372 पर विपक्षी बिना विभाजन कराये निर्माण कराने पर आमादा है तथा इस बाबत् मौके के फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किये, जिससे मौके पर निर्माण कार्य होना प्रकट होता है। उक्त आधार पर प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होना माना है। जहां तक कब्जे का प्रश्न है, विवादित भूमियां पक्षकारान की सहखातेदारी में दर्ज है तथा सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक ईंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा होने की अवधारणा ली जाती है। पक्षकारान के मध्य मूलवाद अभी विचाराधीन है, किस पक्षकार के हिस्से में कौन से भूमि रहेगी इसका निर्धारण तो मूलवाद में साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है, किन्तु यदि इस बीच विपक्षी द्वारा किसी विशेष आराजी पर निर्माण कर लिया जाता है तो पक्षकारों के मध्य और विवाद बढ़ने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में मानते हुए विपक्षी/अपीलान्ट को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 48/2021 में पारित निर्णय दिनांक 03.03.2021 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:15 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप ... सांगावत)
भू-प्र. अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर